कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1877 / FP/UK/Water/42511/2019:देहरादून: 13 जनवरी. 2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद टिहरी गढ़वाल/देहरादून के अन्तर्गत मसूरी पुर्नगठन पेयजल योजना के निर्माण हेतु 2.323 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन विकास एवं निर्माण निगम को 30 वर्षों लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।
(ऑन–लाईन पत्रावली संख्या– FP/UK/Water/42511/2019)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./09/51/2020/एफ0सी0/749 दिनॉक 28.07.2020.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्रांक 2332/12–1 दिनांक 26.11. 2020 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही है:–

2. **शर्त संख्या–1** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।**(सलंग्नक–1)**

3. **शर्त संख्या–2** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि को जिलाधिकारी टिहरी के आदेश संख्या–615/XI-(2020-21) दिनांक 16.09.2020 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

4. **शर्त संख्या–3 (क)** के अनुपालन में वन विभाग विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर ग्राम गांवखेत, सिविल खसरा नं0 110 मध्ये 4.646 हे0 भूमि पर विधिवत स्वीकृति के उपरान्त क्षतिपूरिक वृक्षारोपण किया जायेगा।

(ख) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम गांवखेत, सिविल खसरा नं0 110 मध्ये 4.646 हे0 भूमि अन्तर्गत श्रेणी 9(3)ड –सिविल भूमि को उत्तराखण्ड वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित किया जा चुका है, जिस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जिलाधिकारी, टिहरी की पत्र सं0–615/XI-(2020-21) दिनांक 16.09.2020 एवं खाता खतौनी व अमल दरामद एवं भूमि कब्जे में ले लिये जाने का सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न की गयी है। **(संलग्नक–2)**

(ग) के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है कि उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र पूर्व में किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। **(संलग्नक-3)**

5. **शर्त संख्या–04** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु रू0 15,66,557.00 (पन्द्रह लाख छियासठ हजार पांच सौ सतावन रूपये मात्र) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।

6. **शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में प्रस्तावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि** रू0 15,26,211.00 (पन्द्रह लाख छब्बीस हजार दो सौ ग्यारह रूपये मात्र) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।

शर्त सख्या 05 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया गया इस आशय की वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न है कि सक्षम स्तर से शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, जो बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। **(संलग्नक–4)**

7. **शर्त संख्या–06** के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में क्षेत्रीय वन कर्मियों के सख्त पर्यवेक्षण में न्यूनतम पेड़ो का पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 92 वृक्ष (Including 39 saplings) है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी संलग्न है। **(संलग्नक–5)**

8. शर्त संख्या–07 के अनुपालन में यदि विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के पातन तथा कार्य आरम्भ करने की अनुमति दी जाती है तो उच्च स्तर को सूचित किया जायेगा तथा अनुमति के एक वर्ष के पश्चात् प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त ना होने की दशा में निर्माण कार्य तत्काल रोक दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी संलग्न है। **(संलग्नक–6)**

क्रमशः–2–

9. **शर्त संख्या–08** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सभी निधियों की कुल ₹ 30,92,768.00 (तीस लाख बयानवे हजार सात सौ अड़सठ रूपये मात्र) की धनराशि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) में जमा की चुकी है, जिसके ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न है।**(संलग्नक–7)**

10. **शर्त संख्या–09** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धिम कार्यवाही पूर्ण कर पूर्व मे ही मूल प्रस्ताव के पृ0सं0–73 से 76 तक एवं ऑनलाईन अपलोड किया जा चुका है।

11. **शर्त संख्या–10** के अनुपालन में प्रयौक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि मसूरी पुर्नगठन पेयजल योजना के अन्तर्गत पेयजल लाईन विछाने एवं टैंको का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस कार्यो के निर्माण से पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी।**(संलग्नक–8)**

12. **शर्त संख्या–11** के अनुपालन में प्रयौक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।**(संलग्नक–9)**

13. **शर्त संख्या–12** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।**(संलग्नक–10)**

14. **शर्त संख्या–13** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण संलग्न किया है कि मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकेल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी , विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा **(संलग्नक–11)**

15. **शर्त संख्या–14** के अनुपालन में प्रयौक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि के सीमांकन हेतु तैयार प्राक्कलन की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के पक्ष में जमा कर दी जायेगी।**(संलग्नक–12)**

16. **शर्त संख्या–15** के अनुपालन में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है।**(संलग्नक–13)**

17. **शर्त संख्या–16** के अनुपालन में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है।**(संलग्नक–14)**

18. **शर्त संख्या–17** के अनुपालन में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है।**(संलग्नक–15)**

19. **शर्त संख्या–18** के अनुपालन में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है।**(संलग्नक–16)**

20. **शर्त संख्या–19** के अनुपालन में में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है।**(संलग्नक–17)**

21. **शर्त संख्या–20** के अनुपालन में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है।**(संलग्नक–18)**

22. **शर्त संख्या–21** के अनुपालन में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है।**(संलग्नक–19)**

23. **शर्त संख्या–22** के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल(https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है।

कृपया विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय,

18/1/21

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या :– / FP/UK/Water/42511/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उ0पे0सं0वि0 एवं नि0नि0, मसूरी, कुटुम्ब विहार, ग्राम व पोस्ट सिनौला, देहरादून।

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,